



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पद/2018/पार्ट/ 479

जयपुर दिनांक:- 6/3/2019

आदेश

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से (पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1.	अजीत सिंह सहरिया	मण्डरायल(करौली)	तिजारा (अलवर)	श्री हरिसिंह के स्थान पर
2.	धीरज कुमार	तारानगर (चूरु)	रैणी(अलवर)	श्रीमती अनिता मीणा के स्थान पर
3.	अनिता मीणा	रैणी(अलवर)	सपोटरा (करौली)	रिक्त पद पर
4.	अजीत सिंह	कोटकासिम(अलवर)	तारानगर(चूरु)	श्री धीरज कुमार के स्थान पर
5.	कन्हैयालाल वर्मा	चाकसू(जयपुर)	मण्डरायल(करौली)	श्री अजीत सहरिया के स्थान पर
6.	राजेश मीणा	कोलायत (बीकानेर)	सिकराय (दौसा)	श्री विजय सिंह के स्थान पर
7.	मनोज कुमार	सोजत (पाली)	लक्ष्मणगढ (सीकर)	रिक्त पद पर
8.	रणजीत	कुराबड (उदयपुर)	डीग (भरतपुर)	रिक्त पद पर
9.	विशाल सीपा	गोगुन्दा (उदयपुर)	सहायक परियोजना अधिकारी जि.प. डूंगरपुर	-

श्री हरिसिंह, श्री रामस्वरूप प्रजापत विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा एवं श्री विजय सिंह को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति दें।

उक्त अधिकारी अविलम्ब प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(गीरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
7. जिला कलक्टर, संबंधित।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
9. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)